

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**

**OA No. 129/2025(CZ)**

**IN THE MATTER OF:**

**IMITIYAZ AHMED**

.....**APPLICANT**

VERSUS

**UNION OF INDIA & ORS.**

.....**RESPONDENT**

**INDEX**

<b>SR.</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE</b>
1.	Joint Committee Report on behalf of MP PCB in compliance of order dated 23.09.2025	1-43
2.	Proof of service	44

Date: 08.10.2025

Place: Bhopal

**Submitted by MPPCB:**

**through Counsel**



**Adv. Parul Bhadoria**

**Ph. No.: (+91)-8085977111;**

**Email: [parul.bhadoria04@gmail.com](mailto:parul.bhadoria04@gmail.com)**

# Joint Committee Inspection Report

## In the Matter of

**Original Application No.129/2025**

**‘Imtiyaz Ahmed & Anr. V/s State of MP & Ors.’**

**Hon`ble National Green Tribunal Central Bench  
Bhopal order dated 23.9.2025**



**Date of Visit: 04<sup>th</sup> November 2025**

**Location: Nagda, MP**

## **INDEX**

<b>Sl. No.</b>		<b>Particulars</b>	<b>Page No.</b>
1.	-	Joint Committee report in compliance with the order dated 23.09.2025 of Hon'ble NGT(CZ) in the O.A. No.129 of 2025	3-11
2.	-	Photograph of the visit	12-17
3.	Annexure-01	Copy of the Hon'ble NGT Order dated 23.09.2025	18-21
4.	Annexure-02	Attendance list of participants	22
5.	Annexure-03	The copy of Panchnama dated 04.11.2025	23
6.	Annexure-04	CM Helpline complaint Dt. 27.9.2024 & 14.10.2024	24-27
7.	Annexure-05	CM Helpline complaint Dt. 21.4.2025 & 16.07.2025	28-31
8.	Annexure-06	Site inspection and penalty with compensation deposition challan of Rs 4,50,000/-	32-39
9.	Annexure-07	Water resources dept. letter Dt. 9.4.2025	40
10.	Annexure-08	Garm Panchayat letter regarding desilting of pond	41
11.	Annexure-09	Rural Dept Govt of MP letter Dt. 19.10.2022	42
12.	Annexure-10	Analysis report of Banbana talab	43

**Report of the Joint Committee in the O.A. No. 129 of 2025 in the matter of ‘Imtiyaz Ahmed & Anr. V/s State of MP & Ors’ before the Hon’ble National Green Tribunal, Central Bench, Bhopal.**

**1. Background:**

Hon’ble NGT (CZ), Bhopal vide order dated 23.09.2025 in O.A. No. 129/2025 ‘Imtiyaz Ahmed & Anr. V/s State of MP & Ors’ constituted a Joint Committee comprising of (i) One representative from the Collector, District-Ujjain (ii) One representative from the Secretary (Environment), State of MP. (iii) One representative from the State Environment Impact Assessment Authority (iv) One representative from Central Pollution Control Board (v) One representative from Madhya Pradesh Pollution Control Board, and directed the Committee to submit factual report within six weeks. Further, in the above said Order dated 23.09.2025, Hon’ble NGT appointed the State Pollution Control Board i.e Madhya Pradesh Pollution Control Board as nodal agency for coordination and compliance. Copy of the order dated 23.09.2025 of Hon’ble NGT is enclosed as Annexure-01.

**2. Constitution of Joint Committee:**

In pursuance of Order dated 23.09.2025 of Hon’ble NGT, Bhopal and the nominations received from the organizations concerned, a Joint Committee has been constituted comprising of the following members:

- (i). Mrs. Ranjana Patidar, SDM, Nagda.
- (ii). Sh. H. S. Malviya Superintending Engineer, MPPCB Bhopal (Representative Secretary (Environment) GoMP)
- (iii). Sh. Dushyant Sharma, Subject Expert SEIAA, Bhopal
- (iv). Dr. Anoop Chaturvedi Scientist-C, CPCB, Regional Directorate, Bhopal.
- (v). Dr. Deepak Kale, Regional Officer, MPPCB, Ujjain.

**3. Terms of reference (ToR) to the Joint Committee:**


The Terms of the Reference (ToR) to the Joint Committee referred therein the Order dated 23.09.2025 of Hon’ble NGT in the above matter inter-alia include the following:

(i). The Committee shall visit the site, collect relevant information and verify the allegations referred there in petition. Accordingly, the following are the issues referred therein the petition and order:

- Alleged unauthorized and illegal mining activities being carried out in and around Banbana Talav. These activities violate the Environment (Protection) Act, 1986, Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and the Sustainable Sand Mining Guideline 2016 & 2020.
- The applicant alleged that, as per revenue records, Plot Nos. 1368/1 and 1368/2 are classified as Talab/Pond/Water bodies and as per the Revenue and Environment Department letter dated 05.02.2025, the area exceeds 2.25 hectares and qualifies as a wetland and concerned Collector to protect it.

#### 4. About the Banbana talab (pond):

The Banbana talab is constructed in 1914 and it is maintained by the water resource department. The storage capacity of pond is 3.65 MCM and catchment area is spraded in 12.72sq. km. This pond is being used for drinking and irrigation purpose by Nagda city and nearby area. Out of total stored quantity approx. 1.70 MCM kept for drinking and 1.95 MCM kept for irrigation purpose. The recharging of Banbana talab depends upon the rainfall received in their respective micro-watersheds.



The rejuvenation of Banbana Talab in Nagda is underway through the Amrut 2.0 Scheme and has a tender for civil works has been issued. As per tender document the following work will be taken up for lake rejuvenation like de-

silting, catchment area treatment, afforestation to improve water levels, groundwater recharge, Railing at Bund and Construction of Eco-Friendly Pathway etc. The total cost of project is approx. 1.06 Cr and expected completion time is one year.

## **5. Preliminary meeting of the Joint Committee**

In consultation with the members of the Joint Committee, a preliminary meeting of the Committee was convened with the local people in presence of the Applicants Sh. Imtiyaz Ahmed and Sh. Vijendra Manjhi in the O.A. on 04.11.2025 at Nagda at Banbana Talab site. In the said meeting all the members of the Joint Committee were present and discussed the facts and issues involved in the matter, ToR to the Committee and further course of action proposed in this matter. In the said preliminary meeting the committee has given an opportunity to the both applicants to submit their views and also requested the applicants to physically show the places / allegations levelled in the petition especially regarding the alleged illegal mining and ecological damage in area. During the deliberation, local people raised other issues regarding other environmental issues in area. However, the Joint Committee restricted their scope within the issues referred therein the O.A and the ToR referred therein the above order. List of participants in the meeting is enclosed as **Annexure-2**.

In continuation to the preliminary meeting, subsequent site inspection of the Joint Committee was held on 04<sup>th</sup> November, 2025 to verify the factual status on the allegations raised by the Applicant and collect the information from the authorities concerned. Accordingly, the Joint Committee visited nearby areas of Banbana talab. The spot Panchnama prepared in presence of applicants is enclosed as **Annexure-3**.

## **6.0 Legal matter and previous complaints in the same matter:**

During the inspection and interaction with the officials, it has come to the knowledge that the similar types of complaints were received in various time intervals. The local administration investigated the matter on the same issues as mentioned in the petition. The recently received complaints and its action taken are as given below:

- (a). Sh. Imtiyaz Ahmad submitted a complaint on the CM Helpline portal (Complaint No. 27486044 dated 09.06.2024), alleging illegal mining of soil and

murum from Banbana Talab. In response, the district authorities conducted a site inspection on 20.06.2024, during which no mining activity was observed. However, the complainant was not satisfied with the findings.

Subsequently, a re-inspection was carried out on 30.07.2024, wherein it was noted that the pond was filled with water and no signs of mining were visible. Despite this, the complainant remained dissatisfied. Accordingly, a third site visit was conducted on 18.10.2024, and the same conditions were observed—no evidence of mining activity was found. Based on the repeated inspections and appropriate action taken, the complaint was closed on 18.10.2024.

(b). Sh. Imtiyaz Ahmad submitted two complaints on the CM Helpline portal (Complaint No. 29102098 dated 27.09.2024 and Complaint No. 29330791 dated 14.10.2024), alleging illegal mining of soil and murum from Banbana Talab. In response to the complaint, the district authorities conducted a site inspection on 08.02.2025 and observed that Sh. Lokesh, a resident of Anjali Nagar, Nagda, was engaged in unauthorized excavation activities. As a result, approximately 2,023 cubic meters of soil were seized at the site, and a case was registered under the Madhya Pradesh Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2022. The mining department imposed the penalty and EC of Rs 30,36,580/-. The copy of the CM helpline dated 27.9.2024 & 14.10.2024 are enclosed as **Annexure-04**.

(c). Sh. Imtiyaz Ahmad again submitted two complaints on the CM Helpline portal (Complaint No. 31970818 dated 21.4.2025 and Complaint No. 33391555 dated 16.7.2025), alleging illegal mining of soil and murum from Banbana Talab. In response to the complaint, the district authorities conducted a site inspection on 18.05.2025 and observed that Sh. Ravindra Khanted resident of 11 Jawahar Nagar Nagda, unauthorized excavated 300meter cube soil which was seized at the site, and a case was registered under the Madhya Pradesh Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2022. The mining department imposed the penalty and Environmental compensation of Rs 4,50,000/-. The copy of the CM helpline dated 21.4.2025 & 16.7.2025 are enclosed as **Annexure-05**.

(d). The District Administration has duly addressed all grievances raised in the matter and has taken appropriate remedial and punitive actions. This includes the **imposition of a penalty and Environmental Compensation amounting to**

₹4,50,000/-, which has been deposited by the Sh. Ravindra Khanted resident of 11 Jawahar Nagar Nagda (R-6) to the Government of Madhya Pradesh via Bank Challan No. 2044394172 dated 18.06.2025. The inspection report and action taken in CM Helpline No. 31970818 dated 21.4.2025 is Enclosed as **Annexure-06**

Despite these measures, the applicant expressed dissatisfaction with the actions taken by the State Authority and again file complaint on CM helpline on 16.7.2025 on same issue and subsequently filed an Original Application No. 129 of 2025 before the Hon'ble National Green Tribunal on 12.09.2025, seeking further adjudication.

### **7.0 Observation of the Joint Committee on the ToR to the Committee**

Based on the deliberations held during the meeting of the Joint Committee, subsequent site inspections of the area under question and documents made available to the Committee, the following observations are made on the ToR:

- (1) Alleged unauthorized and illegal mining activities being carried out in and around Banbana Talav. These activities violate the Environment (Protection) Act, 1986, Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and the Sustainable Sand Mining 2016 & 2020.**

The committee visited the Banbana Talab site along with the applicant and other local residents. It was observed that the talab was filled with water, and no visible signs of soil excavation were found. The committee members inspected the site to the maximum extent possible to assess the factual position as alleged by the applicant. However, due to marshy terrain, elevated water levels, and safety concerns, the members were unable to reach the exact location, which is approximately 50 to 70 meters from the accessible spot. The field condition also mentioned in Panchaname prepared at spot in presence of applicants.

During the visit, the committee informed that in 2025, the Government of Madhya Pradesh launched a major initiative under the *Jal Ganga Samvardhan Abhiyan*, which actively included pond rejuvenation as a key component. The campaign was launched on March 30, 2025, and is scheduled to run until June 30, 2025. As per the Water Resources Department letter dated 09.04.2025, permission was granted for soil excavation from Banbana Pond under specific conditions. A copy of the letter is enclosed as Annexure-07. The primary

objective of this initiative is de-silting and cleaning of the pond to enhance its water-holding capacity and improve its effectiveness for groundwater recharge. The Gram Panchayat of Banbana also participated in the rejuvenation drive and facilitated silt/soil excavation from the pond for agricultural use by local farmers during the same period. The letter issued by the Panchayat is enclosed as Annexure-08

With regard to the alleged violation of the MMDR Act, 1957 and the Sustainable Sand Mining Guidelines of 2016 and 2020, it is pertinent to mention that the site in question is a protected water body (Talab not a river), designated for drinking and irrigation purposes only. The government does not grant any form of permission for mineral mining at such locations.

However, as per the order issued by the Panchayat and Rural Development Department, Government of Madhya Pradesh, dated 19.10.2022, every Gram Panchayat is permitted to excavate soil from ponds or stop dams for the purpose of de-silting. The excavated soil may be utilized for agricultural or other non-commercial activities, and no separate permission or royalty payment is required for such use. Therefore, in this context, the alleged violation of the aforementioned Act and guidelines may be ruled out. The letter issued by the Panchayat is enclosed as Annexure-09

The Petitioner mentioned about water pollution in Banbana talab to assess the present status of water quality, sample of talab from has been collected and analyzed by MPPCB, laboratory at Ujjain. The grab sample was collected at representative location on random basis.

Based on the analysis results of Banbana talab it can be concluded that water is fit for drinking purpose after conventional treatment and disinfection. As observed and informed by the local residents no industrial effluent getting mixed in talab. The analysis results are enclosed as Annexure-10.

**(2) The applicant alleged that, as per revenue records, Plot Nos. 1368/1 and 1368/2 are classified as Talab/Pond/Water bodies and as per the Revenue and Environment Department letter dated 05.02.2025, the area exceeds 2.25 hectares and qualifies as a wetland and concerned Collector to protect it.**

As per revenue record Banbana Talab having two Khasra no 1368/1 and 1368/2 and area is 7.044 ha and 47.3060 ha respectively. As alleged soil

excavation carried out at these Khasra numbers which was used in low laying area leveling in nearby residential colony.

As per the ISRO-2021 inventory, a total of 13,947 wetlands has been mapped at a 1:50,000 scale across the state of Madhya Pradesh. Banbana Talab, located near Banbani village, is also listed in this inventory as a wetland (Wetland ID: MP012715) with an area of 189.88 hectares. Accordingly, the provisions of the *Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017* are applicable to this site. For its protection, activities such as encroachment, solid waste dumping, discharge of untreated sewage, and establishment of any industry are strictly prohibited.

In view of the above facts, and considering that Banbana Talab is utilized for drinking and irrigation purposes, the local authorities are undertaking all necessary measures for its protection and maintenance. As part of these efforts, the Nagda Municipal Council has invited a tender titled “*Rejuvenation of Banbana Talab and Community Well Near Banbana Talab at Nagda under AMRUT 2.0 Scheme.*” The tender was published on 18.04.2025 and closed on 19.05.2025. According to the tender document, the proposed rejuvenation works include de-silting, catchment area treatment, afforestation to enhance water levels and groundwater recharge, installation of railing along the bund, and construction of an eco-friendly pathway, among other activities. The total estimated cost of the project is approximately ₹1.06 crore, with an expected completion timeline of one year.

The applicant verbally stated that due to negligence by the municipal council, the water quality has deteriorated. He further alleged that despite repeated complaints, garbage dumped into the pond site has not been cleaned. On-site observation confirmed the presence of a significant amount of solid waste, particularly garbage mixed plastic waste. The matrix of dumped municipal solid waste (MSW) indicated a predominance of banned single-use plastics, such as carry bags, thermocol cups, and disposable plastic glasses.

## **8. Action taken**

The District Administration has duly addressed all the 05 grievances raised in the same matter lodged through CM Helpline portal during 9.6.2024 to 16.7.2025 and has taken appropriate remedial and punitive actions. This

includes the imposition of a penalty and Environmental Compensation amounting to ₹4,50,000/-, which has been deposited by the Sh. Ravindra Khanted (R-6) to the Government of Madhya Pradesh via Bank Challan No. 2044394172 dated 18.06.2025. It is also pertinent to mention that the applicant, Sh. Imtiyaz Ahmad, did not disclose this fact in his petition.

As water of Banbana Talab is utilized for drinking and irrigation purposes and listed as wetland, the local authorities are undertaking all necessary measures for its protection and maintenance. As part of these efforts, the Nagda Municipal Council has already invited a tender titled “*Rejuvenation of Banbana Talab and Community Well Near Banbana Talab at Nagda under AMRUT 2.0 Scheme.*” with an expected completion timeline of one year.

The committee observed accumulation of solid and plastic waste at pond site. Following verbal instructions from the committee, the municipal council of Nagda initiated a cleanliness drive and removed the accumulated solid/plastic wastes.

### **Conclusion:**




In view of the above, the facts mentioned in the petition are partially consistent with the actual conditions observed by the committee during the site visit. The district administration has already undertaken appropriate remedial and punitive actions, including the recovery of environmental compensation. Additionally, rejuvenation work for Banbana Talab has been initiated by the Municipal Council. The Chief Municipal Officer of Nagda has also initiated a cleanliness drive to remove solid waste accumulated near the pond. The water quality of Banbana talab also found satisfactory.

The applicant (Imtiyaz Ahmad) had earlier filed a grievance on the CM Portal regarding Banbana Talab, Nagda, which led to appropriate action by the District Administration and imposition of ₹4,50,000/- penalty with environmental compensation by the Collector on violator. However, the current application before the Hon’ble NGT did not disclose this fact about prior resolution, rendering it a repetitive submission that unnecessarily wastes official time of Hon’ble Tribunal and Government authorities.


## 9.0 Recommendations of the Joint Committee:

On the basis of the above observations made during inspection of the Committee, the following recommendations are submitted for further improvement:

1. As the Banbana talab comes under the wetland list and reserved for drinking and irrigation purpose hence its protection must be ensured.
2. The rejuvenation work for Banbana Talab should be completed in given time line.
3. To prevent any illegal soil excavation, the District Mining Office may maintain strict vigilance during the non-monsoon period.
4. Signboards promoting cleanliness and prohibiting littering should be installed by the municipal council at prominent locations along the pond area, as per the requirement.
5. The municipal council may further strengthen the solid waste collection system, ensure its scientific disposal, and strictly prevent the dumping of solid waste in the pond area.
6. WRD should make fencing arrangements to restrict the unauthorized entrance and protection from dumping of solid/plastic wastes in the talab area.

 (Mrs. Ranjana Patidar) SDM, Nagda	 (H. S. Malviya) Superintending Engineer, MPPCB
 (Dushyant Sharma) Subject Expert SEIAA, Bhopal	 (Dr. Anoop Chaturvedi) Scientist-C, CPCB, Bhopal.
 (Dr. Deepak Kale) Regional Officer, MPPCB, Ujjain.	

## Photograph of Committee Visit at Site



View of Banbana Talab at alleged illegal soil excavation site




Visit of joint committee with applicants at site



Visit of joint committee at Banbana talab



Joint committee interaction with applicants and local residents



Member of committee at alleged soil excavation site with applicant



Joint committee interaction with applicants and local residents



Interaction with applicants and local residents



Joint committee meeting at SDM office Nagda



Garbage and solid waste cleaning work at Banbana talab





Garbage and solid waste cleaning work at Banbana talab



Item No.01

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL  
(Through Video Conferencing)**

**Original Application No.129/2025(CZ)**

Imtiyaz Ahmed & Anr.

Applicant(s)

Vs.

State of Madhya Pradesh & Ors.

Respondent(s)

**Date of Hearing: 23.09.2025**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE MR. SUDHIR KUMAR CHATURVEDI, EXPERT MEMBER**

For Applicant (s): None

For Respondent(s): None

**ORDER**

1. The grievance of the applicant is unauthorized and illegal mining activities being carried out in and around Banbana Talav, situated in Nagda, District Ujjain, Madhya Pradesh. Banbana Talav is a traditional and ecologically important water body that serves as a source of groundwater recharge, irrigation, and habitat for local flora and fauna. It holds socio-economic and environmental significance for the region. Illegal mining of sand, murum/ soil is reportedly being carried out within or around the premises of Banbana Talav without any statutory clearances or approvals from Madhya Pradesh State Pollution Control Board (MPPCB) / State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), District Mining Department etc. These activities violate the Environment (Protection) Act, 1986, Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and the Sustainable Sand Mining

Guidelines, 2016 & 2020. Disturbance and destruction of aquatic life and biodiversity in and around the Talav. Groundwater depletion due to disruption of the natural catchment system. Risk of complete ecological degradation of a community water resource.

2. The submission of the Learned Counsel for the applicant are that the said Banbana Talav is a traditional water body and plays a vital role in recharging groundwater, sustaining agriculture, and providing habitat to local flora and fauna. It is also essential for the livelihood and daily needs of the villagers and municipality.
3. That illegal sand/mineral mining is being carried out by unscrupulous elements in and around the said Banbana Talav without any environmental clearance or adherence to sustainable mining practices, causing the following damages:
  - i. Destruction of the pond ecosystem.
  - ii. Lowering of groundwater levels.
  - iii. Threat to biodiversity
  - iv. Violation of the Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016/2020.
  - v. Breach of environmental norms under the Environment Protection Act, 1986.
4. The revenue record discloses that the plot no. 1368/1 and 1368/2 are recorded as a Talab/Pond/Water body and the area is more than the prescribed limit coming between within the purview of wetland rules. It is to be noted that Hon'ble Supreme Court of India vide Writ Petition Civil No. 304/2018 namely *Anand Arya vs. Union of India & Anrs.* Vide order dated 11.12.2024, directed the state authorities and wetland to identify, demarcate and make a digital inventory of all wetlands within one year from the date of the order and mechanism may be developed for maintenance of ecological character through promotional activities

- and ensure the enforcement of rules. A nodal committee/authority for all wetland constituted for protection and taking measures of the wetlands. It is further clarified by the Govt. of Madhya Pradesh vide letter dated 05.02.2025 issued by the Revenue and Environment Department that the area is exceeding 2.25 hectares comes within the wetland and it is the duty of the Collector concerned to protect and to remove the encroachments. In spite of the directions issued by the State Government and the Hon'ble Supreme Court of India, the District Magistrate Ujjain has not acted appropriately as regards the identification and demarcation of the wetland and further that in spite it being declared as Ramsar site has not been properly maintained.
5. A copy of the order passed by the Hon'ble Supreme court of India quoted above and the communication by the State Government 05.02.2025 and 07.02.2025 be communicated to the District Magistrate, Ujjain for strict enforcement of the directions and for protection of wetland. Recently in some of the cases the matter of Yashwant Sagar, Sankhya Sagar was in question while the Hon'ble Supreme Court of India has already declared the area as a wetland.
  6. Accordingly, in the territorial jurisdiction of district Ujjain, if any water body is more than 2.25 hectares, then it shall be treated as wetland in accordance with the above law laid down by the Hon'ble Supreme Court of India and the inventory prepared by the State Government and order quoted above and the Collector have to implement immediately and submit the report. The Collector has to enforce the rule of law and to ensure that the no untreated water /sewage water be discharged into the water body. Encroachment if any, found within the area notified and recorded as wetland/pond must be cleared the encroachment within a short time before the date of listing and the Collector have to explain the reasons for non-

compliance of the order of Hon'ble Supreme Court of India and notification issued by the State Government.

7. To demarcate and identify and submit the report, we deem it just and proper to constitute a committee consisting the following officers :
  - i. One representative from the District Collector, Ujjain.
  - ii. One representative from the Secretary (Environment), State of MP.
  - iii. One representative from the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA)
  - iv. One representative from the Central Pollution Control Board.
  - v. One representative from the State Pollution Control Board.
8. The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.
9. Applicant is directed to supply the required documents and copy of the application to the committee within a week and after compliance of service, the Applicant has to submit an affidavit that copy of the application has been served upon the committee.
10. The report in the matter be filed by the Committee by email at [ngtczbbho-mp@gov.in](mailto:ngtczbbho-mp@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **10<sup>th</sup> November,2025.**

**Sheo Kumar Singh, JM**

**Sudhir Kumar Chaturvedi, EM**

23<sup>rd</sup> September, 2025,  
Original Application No.129/2025(CZ)  
K

## उपस्थिति पत्रिका

—v—

मान. राष्ट्रीय हरित आयोग (मौजल पत्रिका क्रमांक  
 128/2025 (समीक्षा क्रमांक 14 क्रमांक) / म.उ.  
 शासन में प्रादित आदेश दिनांक 23/11/2025 द्वारा  
 2025/11/11 (सुचना समिति) - म.उ. 11 क्षेत्र स्थल  
 अनुसंधानाध्यक्ष - आदेश (कार्यलय नारायण - जिला  
 वर्धमान (म.उ.) दिनांक 4/11/2025

क्रमांक	नाम	पद	हस्ताक्षर
①	एच.एल.गोखले	आयुक्त म.उ. 11 वर्धमान	
②	Mrs. Ronjana Patidar	SPM Nagda	
③	Dr. Anoop Chaturvedi	Sci. C CFCB Bhopal	
④	DUSHYANT SHARMA	Subject Expert, SEIAA Bhopal	
⑤	Dr. Deepak Kaur	R.O. M.P.C.R. 1/1/17	
⑥	Ramesh Solanki	Mining Inspector	

पंचनामा

माननीय राष्ट्रीय एरीट अधिकरण (भोपाल बेंच) में प्रचलित स.उ. 129/2025 (इम्तियाज अहमद एवं अन्य बनाम म.प्र. शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 23/09/2025 द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थान बनवना तालाब ग्राम पाड़ल्याठवा तह. नागदा जिला उर्जन का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिवायर में उल्लेखित स्थल हाल ही में हुई वर्षा की वजह से अप्रतिबल बंधे हैं तथापि शिवायरकर्ता श्री इम्तियाज अहमद एवं विप्रेन्द्र मासी के साथ वैज्ञानिक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डॉ. अनूप चतुर्वेदी व वैज्ञानिक क्षेत्रिय कार्यालय उर्जन श्री हरिशंकर शर्मा ने उनके बताये हुए स्थल पर पहुँचने का प्रयास कर निरीक्षण किया गया एवं फोटोग्राफ्स लिए गए। तालाब लगभग पूर्ण क्षमता से भरा हुआ है। निरीक्षण के दौरान स्थल पर पंचनामा तैयार किया गया।

for M  
IMTZYAZ AHMED  
4/11/2025

4-11-25  
Anoop, CPCB, Bhopal

4/11/25  
P.S. Madhya

विज्ञ  
विज्ञ

N  
Neelesh Chauranya  
A.E.-RO Ujjain

4/11/2025  
अभिमानिक  
706050 5256

4/11/25  
Ramesh Subudhi  
(M)

4/11/2025  
SDM Nagda

4/11/25  
H.S. Subudhi,  
Sci (MPPCB)

4/11/2025  
Subjet Expert  
SEIAP

4/11/25  
RO MPPCB Ujjain

## सी.एम. हेल्पलाइन - शिकायत विवरणी

जन हेतु - जन सेतु

शिकायत क्रमांक	29102098 दिनांक - 27-09-2024
विभाग का नाम	खनिज साधन विभाग
शिकायतकर्ता का नाम	इन्तहाज एहमद जी जी
पता	वाई त 26 वनबना नागदा जिला-उज्जैन
फोन नंबर	8817105317
जिला	उज्जैन
क्षेत्र	क्षेत्र/ब्लॉक : खाचरौद
शिकायत का प्रारूप	खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन भण्डारण से संबंधी (खनिज साधन विभाग)
शिकायत का विवरण	शिकायतकर्ता इन्तहाज एहमद जी द्वारा बताया गया कि जिला उज्जैन कॉलोनी 17 हिन्दू कॉलोनी वाई 25 स्थल का नाम वाई 26 वनबना तालाब पर किया जा रहा है। आवेदक का कहना है। आवेदक रूप से तालाब कि मिट्टी का उत्खनन किया जा रहा है। वनबना तालाब पर जिससे आवेदक को काफी समस्या आ रही है। कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। अन्य 8817135419 शिकायत क्र 27486044 शिकायत को बंद कर दिया गया है। विभाग द्वारा।
निराकरण	उक्त शिकायत के निराकरण के संबंध में शिकायतकर्ता के समक्ष मौका स्थल की जांच दिनांक 30.07.2024 एवं 08.02.2025 को कार्यवाही कर मौके पर अवैध उत्खनन स्थल ग्राम पाडल्याकला तहसील नागदा स्थित वनबना तालाब के भूमि सर्वे क्रमांक 1368 के भाग पर खनिज मिट्टी उत्खनित मात्रा 2023.272 घनमीटर का अवैध उत्खनन पाये जाने पर अनावेदक लोकेश पिता डोकल परमार निवासी-अंजली नगर नागदा जिला उज्जैन के विरुद्ध म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (1) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में शिकायतकर्ता को समक्ष में बताया गया शिकायतकर्ता सहमत होकर शिकायत बंद कराने हेतु संतुष्ट है। शिकायत बंद किये जाने का अनुरोध है।, प्रतिवेदन के आधार निराकरण को मान्य किया गया
शिकायत की स्थिति	शिकायत को बंद कर दिया गया है
शिकायत की स्थिति	
दिनांक	स्थिति
20 Feb 2025	शिकायत को बंद कर दिया गया है
20 Feb 2025	* शिकायतकर्ता कि गयी कार्यवाही से संतुष्ट है अतः शिकायत को बंद कर दिया गया है
20 Feb 2025	शिकायतकर्ता से सहमति अथवा असहमति की पुष्टि शेष है
20 Feb 2025	शिकायत पर निराकरण एल 3 अधिकारी नाम-श्री नीरज कुमार सिंह ,पद-Collector , फोन-9425010830 द्वारा दर्ज किया गया है।
20 Feb 2025	शिकायत पर प्राप्त निराकरण का पुनर्मूल्यांकन कर सम्बंधित अधिकारी द्वारा दिए गए निराकरण को उच्च स्तर से "मान्य" कर दिया गया है।
20 Feb 2025	उक्त शिकायत के निराकरण के संबंध में शिकायतकर्ता के समक्ष मौका स्थल की जांच दिनांक 30.07.2024 एवं 08.02.2025 को कार्यवाही कर मौके पर अवैध उत्खनन स्थल ग्राम पाडल्याकला तहसील नागदा स्थित वनबना तालाब के भूमि सर्वे क्रमांक 1368 के भाग पर खनिज मिट्टी उत्खनित मात्रा 2023.272 घनमीटर का अवैध उत्खनन पाये जाने पर अनावेदक लोकेश पिता डोकल परमार निवासी-अंजली नगर नागदा जिला उज्जैन के विरुद्ध म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (1) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में शिकायतकर्ता को समक्ष में बताया गया शिकायतकर्ता सहमत होकर शिकायत बंद कराने हेतु संतुष्ट है। शिकायत बंद किये जाने का अनुरोध है।, प्रतिवेदन के आधार निराकरण को मान्य किया गया
20 Feb 2025	शिकायत पर निराकरण एल 2 अधिकारी नाम-श्रीमती देविका परमार ,पद-खनि अधिकारी , फोन-9827018884 द्वारा दर्ज किया गया है।
20 Feb 2025	शिकायत का पुनर्मूल्यांकन कर पुनः निराकरण कर उच्च स्तर पर मान्य हेतु प्रेषित कर दिया गया है।
20 Feb 2025	उक्त शिकायत के निराकरण के संबंध में शिकायतकर्ता के समक्ष मौका स्थल की जांच दिनांक 30.07.2024 एवं 08.02.2025 को कार्यवाही कर मौके पर अवैध उत्खनन स्थल ग्राम पाडल्याकला तहसील नागदा स्थित वनबना तालाब के भूमि सर्वे क्रमांक 1368 के भाग पर खनिज मिट्टी उत्खनित मात्रा 2023.272 घनमीटर का अवैध उत्खनन पाये जाने पर अनावेदक लोकेश पिता डोकल परमार निवासी-अंजली नगर नागदा जिला उज्जैन के विरुद्ध म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (1) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में शिकायतकर्ता को समक्ष में बताया गया शिकायतकर्ता सहमत होकर शिकायत बंद कराने हेतु संतुष्ट है। शिकायत बंद किये जाने का अनुरोध है।
03 Feb 2025	शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि :वनबना तालाब पर जिससे आवेदक को काफी समस्या आ रही है। कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। अन्य 8817135419 शिकायत क्र 27486044 शिकायत को बंद कर दिया गया है। विभाग द्वारा।

Jan 2025	शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि : आज दिनांक तक शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है कृपया जांच की जाये एवं समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।
21 Oct 2024	शिकायत निराकरण हेतु (एल3) अधिकारी है नाम :-श्री नीरज कुमार सिंह पद- Collector फोन- 9425010830
21 Oct 2024	शिकायतकर्ता की असंतुष्टि पर शिकायत उच्च लेवल अधिकारी को भेजी जा रहा है।
21 Oct 2024	IVRS के माध्यम से शिकायतकर्ता की असंतुष्टि के आधार पर शिकायत उच्च अधिकारी को प्रेषित की जा रही है।
21 Oct 2024	शिकायतकर्ता से सहमति अथवा असहमति की पुष्टि शेष है।
21 Oct 2024	शिकायत स्थल ग्राम बनबना तालाब का निरीक्षण शिकायतकर्ता की उपस्थिति में पूर्व में किया गया जिसमें शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि गर्मी के समय बनबना तालाब में खनन होना बताया गया। वर्तमान में उक्त तालाब में पानी भरा है, वर्तमान में मौके पर कोई खनन नहीं हो रहा है।
09 Oct 2024	शिकायत निराकरण हेतु (एल2) अधिकारी है नाम :-श्रीमती देविका परमार पद- खनि अधिकारी फोन- 9827018884
09 Oct 2024	शिकायतकर्ता की असंतुष्टि पर शिकायत उच्च लेवल अधिकारी को भेजी जा रहा है।
09 Oct 2024	शिकायतकर्ता की असहमति के आधार पर शिकायत उच्च स्तर पर प्रेषित की जा रही है।
09 Oct 2024	शिकायतकर्ता से सहमति अथवा असहमति की पुष्टि शेष है।
09 Oct 2024	उक्त शिकायत के संबंध में शिकायतकर्ता से चर्चा की गई शिकायतकर्ता द्वारा बताये गये स्थल पर वर्तमान में कोई खनन कार्य नहीं होना पाया गया। तत्संबंध में शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया। शिकायतकर्ता संतुष्ट होकर शिकायत हटाने हेतु सहमत हैं।
27 Sep 2024	शिकायत निराकरण हेतु (एल1) अधिकारी है नाम :-श्री आलोक अग्रवाल पद- खनि निरीक्षक फोन- 9589395968
27 Sep 2024	शिकायत सीएम हेल्पलाइन 181 कॉल सेंटर के माध्यम से दर्ज की गयी है।

पिंट करे

सी.एम. हेल्पलाइन - शिकायत विवरणी

जन हेतु - जन सेतु

शिकायत क्रमांक	29330791 दिनांक - 14-10-2024
विभाग का नाम	खनिज साधन विभाग
शिकायतकर्ता का नाम	इनतहाज एहमद जी जी
पता	वाई न 26 वनवना नागदा जिला-उज्जैन
फोन नंबर	8817105317
जिला	उज्जैन
क्षेत्र	क्षेत्र/ब्लॉक : खाचरौद
शिकायत का पारूप	गौण खनिजों के उत्खनन के लिए खानिजपट्टा आवेदन/आवंटन/स्वीकृत न होने से संबंधित (खनिज साधन विभाग)
शिकायत का विवरण	शिकायतकर्ता इनतहाज एहमद जी द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा बताया गया की तालाब की मिट्टी का आवेध खनन किजा जा रहा है आवेदक द्वारा बताया गया की आवेदक द्वारा थाने मे जानकारी दी लेकिन सहायता नहीं की जा रही है जिसके कारण आवेदक को काफी समस्या आ रही है 27486044 और 27543834 शिकायत की बिना निराकरण के बंद किया गया है कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।
निराकरण	उक्त शिकायत के निराकरण के संबंध में शिकायतकर्ता के समक्ष मौका स्थल की जांच दिनांक 30.07.2024 एवं 08.02.2025 को कार्यवाही कर मौके पर अवैध उत्खनन स्थल ग्राम पाडल्याकला तहसील नागदा स्थित वनवना तालाब के भूमि सर्वे क्रमांक 1368 के भाग पर खनिज मिट्टी उत्खनित मात्रा 2023.272 घनमीटर का अवैध उत्खनन पाये जाने पर अनावेदक लोकेश पिता डोकल परमार निवासी-अंजली नगर नागदा जिला उज्जैन के विरुद्ध म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (1) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में शिकायतकर्ता को समक्ष में बताया गया शिकायतकर्ता सहमत होकर शिकायत बंद कराने हेतु संतुष्ट है। शिकायत बंद किये जाने का अनुरोध है। , प्रतिवेदन के आधार निराकरण को मान्य किया गया
शिकायत की स्थिति	शिकायत को बंद कर दिया गया है

शिकायत की स्थिति

दिनांक	स्थिति
20 Feb 2025	शिकायत को बंद कर दिया गया है
20 Feb 2025	* शिकायतकर्ता कि गयी कार्यवाही से संतुष्ट है अतः शिकायत को बंद कर दिया गया है
20 Feb 2025	शिकायतकर्ता से सहति अथवा असहमति की पुष्टि शेष है
20 Feb 2025	शिकायत पर निराकरण एल 3 अधिकारी नाम-श्री नीरज कुमार सिंह ,पद-Collector , फोन-9425010830 द्वारा दर्ज किया गया है।
20 Feb 2025	शिकायत पर प्राप्त निराकरण का पुनर्मूल्यांकन कर सम्बंधित अधिकारी द्वारा दिए गए निराकरण को उच्च स्तर से "मान्य" कर दिया गया है।
20 Feb 2025	उक्त शिकायत के निराकरण के संबंध में शिकायतकर्ता के समक्ष मौका स्थल की जांच दिनांक 30.07.2024 एवं 08.02.2025 को कार्यवाही कर मौके पर अवैध उत्खनन स्थल ग्राम पाडल्याकला तहसील नागदा स्थित वनवना तालाब के भूमि सर्वे क्रमांक 1368 के भाग पर खनिज मिट्टी उत्खनित मात्रा 2023.272 घनमीटर का अवैध उत्खनन पाये जाने पर अनावेदक लोकेश पिता डोकल परमार निवासी-अंजली नगर नागदा जिला उज्जैन के विरुद्ध म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (1) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में शिकायतकर्ता को समक्ष में बताया गया शिकायतकर्ता सहमत होकर शिकायत बंद कराने हेतु संतुष्ट है। शिकायत बंद किये जाने का अनुरोध है। , प्रतिवेदन के आधार निराकरण को मान्य किया गया
20 Feb 2025	शिकायत पर निराकरण एल 2 अधिकारी नाम-श्रीमती देविका परमार ,पद-खनि अधिकारी , फोन-9827018884 द्वारा दर्ज किया गया है।
20 Feb 2025	शिकायत का पुनर्मूल्यांकन कर पुनः निराकरण उच्च स्तर पर मान्य हेतु प्रेषित कर दिया गया है।
20 Feb 2025	उक्त शिकायत के निराकरण के संबंध में शिकायतकर्ता के समक्ष मौका स्थल की जांच दिनांक 30.07.2024 एवं 08.02.2025 को कार्यवाही कर मौके पर अवैध उत्खनन स्थल ग्राम पाडल्याकला तहसील नागदा स्थित वनवना तालाब के भूमि सर्वे क्रमांक 1368 के भाग पर खनिज मिट्टी उत्खनित मात्रा 2023.272 घनमीटर का अवैध उत्खनन पाये जाने पर अनावेदक लोकेश पिता डोकल परमार निवासी-अंजली नगर नागदा जिला उज्जैन के विरुद्ध म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (1) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में शिकायतकर्ता को समक्ष में बताया गया शिकायतकर्ता सहमत होकर शिकायत बंद कराने हेतु संतुष्ट है। शिकायत बंद किये जाने का अनुरोध है।
03 Feb 2025	शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि : आवेदक को काफी समस्या आ रही है कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।
23 Jan 2025	शिकायत निराकरण हेतु (एल3) अधिकारी है नाम :- श्री नीरज कुमार सिंह पद- Collector फोन- 9425010830
23 Jan 2025	* शिकायतकर्ता की असंतुष्टि पर शिकायत उच्च लेवल अधिकारी को भेजी जा रही है

Jan 2025	शिकायतकर्ता से सहमति अथवा असहमति की पुष्टि शेष है
Jan 2025	उक्त शिकायत के निराकरण के संबंध में शिकायत स्थल बनवना तालाब व निर्माणाधीन कॉलोनी के पीछे व बाजू में तालाब के भाग पर खनिज मिट्टी के गड्डे बताये गये जिनमें खनिज मिट्टी का उत्खनन होना बताया गया किन्तु वर्तमान में गड्डों में पानी भरा होना पाया गया, शिकायतकर्ता को उक्त संबंध में अवगत कराया गया कि पानी भरा है जिससे उत्खनन के संबंध में स्पष्टता जात नहीं हो सकी और वर्तमान में अवैध उत्खनन एवं परिवहन होते नहीं पाया गया।
14 Jan 2025	शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि :अधिकारी के द्वारा संपर्क नहीं किया जा रहा है जिससे समस्या आ रही है अधिकारी के द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा है आवेदक का कहना है की आज दिनांक तक शिकायत पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे आवेदक को काफी समस्या आ रही है, कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाये।
13 Jan 2025	शिकायत निराकरण हेतु (ऐल2) अधिकारी है नाम :-श्रीमती देविका परमार पद- खनि अधिकारी फोन- 9827018884
13 Jan 2025	शिकायतकर्ता की असंतुष्टि पर शिकायत उच्च लेवल अधिकारी को भेजी जा रहा है
13 Jan 2025	IVRS के माध्यम से शिकायतकर्ता की असंतुष्टि के आधार पर शिकायत उच्च अधिकारी को प्रेषित की जा रही है।
13 Jan 2025	शिकायतकर्ता से संतुष्टि परिक्षण के लिए प्रयास किया गया, शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं हो पाया है।
16 Dec 2024	शिकायतकर्ता से संतुष्टि परिक्षण के लिए प्रयास किया गया, शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं हो पाया है।
18 Nov 2024	शिकायतकर्ता से संतुष्टि परिक्षण के लिए प्रयास किया गया, शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं हो पाया है।
17 Nov 2024	शिकायतकर्ता से संतुष्टि परिक्षण के लिए सम्पर्क किया गया, शिकायतकर्ता का नंबर स्विच ऑफ है।....
12 Nov 2024	शिकायतकर्ता से संतुष्टि परिक्षण के लिए प्रयास किया गया, शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं हो पाया है।
11 Nov 2024	शिकायतकर्ता से संतुष्टि परिक्षण के लिए प्रयास किया गया, शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं हो पाया है।
09 Nov 2024	शिकायतकर्ता से संतुष्टि परिक्षण के लिए प्रयास किया गया, शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं हो पाया है।
06 Nov 2024	शिकायतकर्ता से सहमति अथवा असहमति की पुष्टि शेष है
06 Nov 2024	शिकायत स्थल बनवना तालाब का निरीक्षण किया गया जिसमें उक्त तालाब में पानी भरा है वर्तमान में मौके पर कोई खनन नहीं हो रहा है।
14 Oct 2024	शिकायत निराकरण हेतु (ऐल1) अधिकारी है नाम :-श्री आलोक अग्रवाल पद- खनि निरीक्षक फोन- 9589395968
14 Oct 2024	शिकायत सीएम हेल्पलाइन 181 कॉल सेंटर के माध्यम से दर्ज की गयी है।

पिंट करे

## सी.एम. हेल्पलाइन - शिकायत विवरणी

जन हेतु - जन सेतु

शिकायत क्रमांक	31970818 दिनांक - 21-04-2025
विभाग का नाम	खनिज साधन विभाग
शिकायतकर्ता का नाम	इंतियाज अहमद
पता	ब्लॉक-उज्जैन , जिला-उज्जैन
फोन नंबर	8817105317
जिला	उज्जैन
क्षेत्र	क्षेत्र/ब्लॉक : नागदा
शिकायत का पारूप	खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन भण्डारण से संबंधी (खनिज साधन विभाग)
शिकायत का विवरण	शिकायतकर्ता इंतियाज अहमद जी के द्वारा बताया गया कि स्थल का नाम बनवना तालाब नगर पालिका नागदा उज्जैन में आवेदक का कहना है कि अवैध मिट्टी और मोरंग का उत्खनन किया जा रहा है विभाग में जानकारी दी गई है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे आवेदक को काफी समस्या आ रही है निवेदन है जाँच कर कार्यवाही की जाए। कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।
निराकरण	शिकायतकर्ता द्वारा बताये गये स्थल ग्राम पाडल्याकलां तहसील नागदा के भूमि सर्वे क्रमांक 1378 आदि से खनिज मुरुम का उत्खनन किया जाकर अनावेदक रविन्द्र पिता मनोहर काठेड पता-11 जवाहर मार्ग नागदा के विरुद्ध कालोनी के निर्माण में भराव किये जाने पर मुरुम खनिज का अवैध भण्डारण का प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड की राशि रु. 451000/- की शास्ति की जाकर प्रकरण माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन में प्रकरण क्रमांक 02/अवैध भण्डारण/2025-26 से दर्ज है। उक्त समस्त कार्यवाही से शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया किन्तु शिकायतकर्ता शिकायत को बंद कराने हेतु संतुष्ट नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में भी उक्त शिकायत स्थल ग्राम पाडल्याकला पर खनिज के उत्खनन संबंधी शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसपर तत्कालिन खनि निरीक्षक द्वारा खनिज मिट्टी/मुरुम का अवैध उत्खनन का प्रकरण पर अर्थदण्ड की राशि रु. 3035580/- की शास्ति कर प्रकरण माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर न्यायालय में दर्ज होकर विभाग अन्तर्गत कोई कार्यवाही शेष नहीं है। शिकायत को स्पेशल क्लोज्ड किया जाना उचित है।, प्रतिवेदन के आधार पर शिकायत को बंद किया गया
शिकायत की स्थिति	शिकायत को बंद कर दिया गया है
शिकायत की स्थिति	
दिनांक	स्थिति
16 Jul 2025	शिकायत को बंद कर दिया गया है
16 Jul 2025	शिकायत L3 अधिकारी नाम-श्री रौशन कुमार सिंह ,पद-कलेक्टर , फोन-9329332895 द्वारा बंद की गई है।
16 Jul 2025	शिकायतकर्ता द्वारा बताये गये स्थल ग्राम पाडल्याकलां तहसील नागदा के भूमि सर्वे क्रमांक 1378 आदि से खनिज मुरुम का उत्खनन किया जाकर अनावेदक रविन्द्र पिता मनोहर काठेड पता-11 जवाहर मार्ग नागदा के विरुद्ध कालोनी के निर्माण में भराव किये जाने पर मुरुम खनिज का अवैध भण्डारण का प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड की राशि रु. 451000/- की शास्ति की जाकर प्रकरण माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन में प्रकरण क्रमांक 02/अवैध भण्डारण/2025-26 से दर्ज है। उक्त समस्त कार्यवाही से शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया किन्तु शिकायतकर्ता शिकायत को बंद कराने हेतु संतुष्ट नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में भी उक्त शिकायत स्थल ग्राम पाडल्याकला पर खनिज के उत्खनन संबंधी शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसपर तत्कालिन खनि निरीक्षक द्वारा खनिज मिट्टी/मुरुम का अवैध उत्खनन का प्रकरण पर अर्थदण्ड की राशि रु. 3035580/- की शास्ति कर प्रकरण माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर न्यायालय में दर्ज होकर विभाग अन्तर्गत कोई कार्यवाही शेष नहीं है। शिकायत को स्पेशल क्लोज्ड किया जाना उचित है।, प्रतिवेदन के आधार पर शिकायत को बंद किया गया
10 Jul 2025	शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि :शिकायतकर्ता इंतियाज अहमद जी के द्वारा बताया गया कि स्थल का नाम बनवना तालाब नगर पालिका नागदा उज्जैन में आवेदक का कहना है कि अवैध मिट्टी और मोरंग का उत्खनन किया जा रहा है विभाग में जानकारी दी गई है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे आवेदक को काफी समस्या आ रही है निवेदन है जाँच कर कार्यवाही की जाए। कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए आवेदक द्वारा लोक सेवा केंद्र में नकल के लिए आवेदन दिया गया था परन्तु आवेदक को नकल नहीं दी जा रहा है न 43507296288 2025
09 Jul 2025	शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक दिए गये निराकरण से सहमत नहीं है कृपया पुन जाच कर कार्यवाही है जाये कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाये
09 Jul 2025	शिकायत पर निराकरण एल 2 अधिकारी नाम-श्रीमती देविका परंमार ,पद-खनि अधिकारी , फोन-9827018884 द्वारा दर्ज किया गया है।
09 Jul 2025	शिकायत का पुनर्मूल्यांकन कर पुनः निराकरण कर उच्च स्तर पर मान्य हेतु प्रेषित कर दिया गया है।
09 Jul 2025	शिकायतकर्ता द्वारा बताये गये स्थल ग्राम पाडल्याकलां तहसील नागदा के भूमि सर्वे क्रमांक 1378 आदि से खनिज मुरुम का उत्खनन किया जाकर अनावेदक रविन्द्र पिता मनोहर काठेड पता-11 जवाहर मार्ग नागदा के विरुद्ध कालोनी के निर्माण में भराव किये जाने पर मुरुम खनिज का अवैध भण्डारण का प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड की राशि रु. 451000/- की शास्ति की जाकर प्रकरण माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन में प्रकरण क्रमांक 02/अवैध भण्डारण/2025-26 से दर्ज है। उक्त समस्त कार्यवाही से शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया किन्तु शिकायतकर्ता

	<p>शिकायत को बंद कराने हेतु संतुष्ट नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में भी उक्त शिकायत स्थल ग्राम पाडल्याकला पर खनिज के उत्खनन संबंधी शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसपर तत्कालिन खनि निरीक्षक द्वारा खनिज मिट्टी/मुरुम का अवैध उत्खनन का प्रकरण पर अर्थदण्ड की राशि रु. 3035580/- की शांति कर प्रकरण माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर न्यायालय में दर्ज होकर विभाग अन्तर्गत कोई कार्यवाही शेष नहीं है। शिकायत को स्पेशल ब्लोज्ड किया जाना उचित है।</p>
04 Jul 2025	शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि :परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे आवेदक को काफी समस्या आ रही है निवेदन है जाँच कर कार्यवाही की जाए। कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।
30 Jun 2025	शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि : आवेदक द्वारा बताया जा रहा है की उनकी शिकायत पर आज दिनांक तक कोई निराकरण दर्ज नहीं किया गया है जिससे की आवेदक को काफी समस्या आ रही है निवेदन है जाँच कर कार्यवाही की जाए। कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।
24 Jun 2025	शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि :आज दिनांक तक शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे आवेदक को काफी ज्यादा समस्या आ रही है निवेदन है की जाँच कर कार्यवाही की जाए कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।
23 Jun 2025	आवेदक द्वारा बताया जा रहा है कि आवेदक की शिकायत का आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिससे आवेदक को काफी समस्या हो रही है निवेदन है जाँच कर कार्यवाही की जाए कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।
19 Jun 2025	शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि : शिकायतकर्ता दिये गए निराकरण से सहमत नहीं हैं जिससे आवेदक को काफी समस्या आ रही है निवेदन है फिर से जाँच की जाए। कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।
10 Jun 2025	शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि :सम्बंधित विभाग में जानकारी दी गई थी परन्तु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिससे आवेदक और रहवासियों को काफी समस्या आ रही है निवेदन है जाँच कर कार्यवाही की जाए। कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।
06 Jun 2025	शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि :आवेदक को काफी समस्या आ रही है निवेदन है जाँच कर कार्यवाही की जाए। कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।
02 Jun 2025	शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक का कहना है कि अवैध मिट्टी और मुरुम का उत्खनन किया जा रहा है विभाग में जानकारी दी गई है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे आवेदक को काफी समस्या आ रही है निवेदन है जाँच कर कार्यवाही की जाए। कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।
21 May 2025	शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि : शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि आज दिनांक तक शिकायत पर कोई निराकरण नहीं दिया गया है जिससे की आवेदक को काफी समस्या आ रही है कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए
19 May 2025	शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि : आज दिनांक तक आवेदक को शिकायत पर कोई संतुष्टिपूर्वक निराकरण दर्ज नहीं किया गया है। जिससे आवेदक को काफी समस्या हो रही है। कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।
18 May 2025	शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि : आवेदक का कहना है कि अवैध मिट्टी और मोरंग का उत्खनन किया जा रहा है विभाग में जानकारी दी गई है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे आवेदक को काफी समस्या आ रही है निवेदन है जाँच कर कार्यवाही की जाए। कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।
12 May 2025	शिकायत निराकरण हेतु (एल3) अधिकारी है नाम :-श्री रौशन कुमार सिंह पद- कलेक्टर फोन- 9329332895
12 May 2025	शिकायतकर्ता की असंतुष्टि पर शिकायत उच्च लेवल अधिकारी को भेजी जा रहा है
12 May 2025	शिकायतकर्ता की असहमति के आधार पर शिकायत उच्च स्तर पर प्रेषित की जा रही है।
12 May 2025	शिकायतकर्ता से संतुष्टि परिक्षण के लिए सम्पर्क किया गया, शिकायतकर्ता का नंबर उपलब्ध नहीं है।....
11 May 2025	शिकायतकर्ता से संतुष्टि परिक्षण के लिए सम्पर्क किया गया, शिकायतकर्ता का नंबर उपलब्ध नहीं है।....
10 May 2025	शिकायतकर्ता से संतुष्टि परिक्षण के लिए प्रयास किया गया, शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं हो पाया है।
08 May 2025	शिकायतकर्ता से सहमति अथवा असहमति की पुष्टि शेष है
08 May 2025	उक्त शिकायत के संबंध में शिकायतकर्ता श्री इनतहाज एहमद पिता श्री मुस्ताक एहमद पता-17 इन्दु कॉलोनी नागदा के द्वारा पूर्व में शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें उक्त स्थल जाँच शिकायतकर्ता अन्य पंचों के समक्ष शिकायत स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके बताये अनुसार स्थल वनवना में खनिज मिट्टी/मुरुम का अवैध उत्खनन प्रकरण दर्ज सक्षम न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन में अग्रेषित किया गया है वर्तमान में अवैध उत्खनन एवं परिवहन नहीं होने से कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के बाद भी शिकायतकर्ता को समस्त कार्यवाही से अवगत कराया गया।
28 Apr 2025	शिकायत निराकरण हेतु (एल2) अधिकारी है नाम :-श्रीमती देविका परमार पद- खनि अधिकारी फोन- 9827018884
28 Apr 2025	शिकायतकर्ता की असंतुष्टि पर शिकायत उच्च लेवल अधिकारी को भेजी जा रहा है
28 Apr 2025	शिकायतकर्ता की असहमति के आधार पर शिकायत उच्च स्तर पर प्रेषित की जा रही है।
28 Apr 2025	शिकायतकर्ता से सहमति अथवा असहमति की पुष्टि शेष है
28 Apr 2025	उक्त शिकायती क्षेत्र में जाँच के दौरान खनिज का खनन, परिवहन करते हुए कोई वाहन, मशीन, व्यक्ति नहीं मिले
25 Apr 2025	उक्त शिकायती क्षेत्र में जाँच के दौरान खनिज का खनन, परिवहन करते हुए कोई वाहन, मशीन, व्यक्ति नहीं मिले
21 Apr 2025	शिकायत निराकरण हेतु (एल1) अधिकारी है नाम :-कामना गौतम पद- खनि निरीक्षक फोन- 9826981739

सी.एम. हेल्पलाइन - शिकायत विवरणी

जन हेतु - जन सेतु

शिकायत क्रमांक	33391555 दिनांक - 16-07-2025
विभाग का नाम	खनिज साधन विभाग
शिकायतकर्ता का नाम	इतियाज अहमद
पता	ब्लॉक-उज्जैन , जिला-उज्जैन
फोन नंबर	8817105317
जिला	उज्जैन
क्षेत्र	क्षेत्र/ब्लॉक : नागदा
शिकायत का पारूप	खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन भण्डारण से संबंधी (खनिज साधन विभाग)
शिकायत का विवरण	शिकायतकर्ता इतियाज अहमद जी के द्वारा बताया गया कि स्थल का नाम बनबना तालाब नगर पालिका नागदा उज्जैन में आवेदक का कहना है कि अवैध मिट्टी और मोरंग का उत्खनन किया जा रहा है विभाग में जानकारी दी गई है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे आवेदक को काफी समस्या आ रही है निवेदन हैं जांच कर कार्यवाही की जाए। कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।
निराकरण	शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में भी उक्त समान रूप की एक ही स्थल की शिकायत, सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर अलग-अलग शिकायत क्रमांक 27486044, 29102098, 29330791, 31970818 से दर्ज कराई गई थी जिसमें क्रमशः कार्यवाही की गई जिसपर कार्यवाही की गई जो निम्नानुसार है:- 1- शिकायतकर्ता शिकायत उक्त स्थल की जांच दिनांक 30.07.2024 कर निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके बताये अनुसार स्थल ग्राम पाडल्याकला तहसील नागदा स्थित बनबना तालाब के भूमि सर्वे क्रमांक 1368 के भाग पर खनिज मिट्टी उत्खनित मात्रा 2023.272 घनमीटर का अवैध उत्खनन पाये जाने पर अनावेदक लोकेश पिता डोकल परमार निवासी-अंजली नगर नागदा जिला उज्जैन के विरुद्ध अर्थशास्ति राशि रु 3036580/- रु (पूर्णांक में) अक्षरी तीस लाख छतीस हजार पांच सौ अस्सी रुपये मात्र रु प्रस्तावित कर म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (1) के अंतर्गत प्रकरण माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन में दर्ज है। 2- शिकायत के द्वारा पुनः की गई शिकायत पर शिकायतकर्ता द्वारा बताये गये स्थल ग्राम बनबना तालाब से मिट्टी का खनन कर ग्राम पाडल्याकला तहसील नागदा के भूमि सर्वे क्रमांक 1378 आदि से खनिज मुरुम का उत्खनन किया जाकर अनावेदक रविन्द्र पिता मनोहर काठेड पता-11 जवाहर मार्ग नागदा के विरुद्ध कालोनी के निर्माण में भराव किये जाने पर मुरुम खनिज का अवैध भण्डारण का प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड की राशि रु. 451000/- की शास्ति की जाकर प्रकरण माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन में प्रकरण क्रमांक 02/अवैध भण्डारण/2025-26 से दर्ज है। 3. शिकायतकर्ता के द्वारा की गई शिकायत क्रमांक 33391555 के प्राप्त होने दिनांक 16.07.2025 को ही शिकायत में उल्लेखित स्थल बनबना तालाब का निरीक्षण किया गया, जांच के दौरान यहां अवैध खनन कार्य करते कोई वाहन, मशीन अन्य साधन नहीं मिले शिकायती क्षेत्र में वाहनों मशीनों के आने जाने के चिन्ह, खुदाई के चिन्ह भी नहीं मिले तथा तालाब में पानी भरा होना पाया गया। उक्त कार्यवाही संबंधी फोटोग्राफस भी लिये गये। उक्त कार्यवाही से शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया किन्तु वे मानने को तैयार नहीं है। शिकायतकर्ता आदतनी एक ही स्थल की एक समान शिकायत करता है जिसपर पूर्व में कार्यवाही भी की गई तथा उक्त समस्त कार्यवाही से शिकायतकर्ता को समस्त कार्यवाही से अवगत कराया परंतु वह संतुष्ट नहीं है एवं शिकायत को बंद करने को भी तैयार नहीं है। वर्तमान में मौके कोई खनन एवं परिवहन होना नहीं हो रहा। शिकायत को बंद किया जाना उचित है। प्रतिवेदन के आधार पर शिकायत को बंद किया गया

शिकायत की स्थिति शिकायत को बंद कर दिया गया है

शिकायत की स्थिति

दिनांक	स्थिति
14 Oct 2025	शिकायत को बंद कर दिया गया है
14 Oct 2025	शिकायत L3 अधिकारी नाम-श्री रौशन कुमार सिंह ,पद-कलेक्टर , फोन-9329332895 द्वारा बंद की गई है।
14 Oct 2025	शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में भी उक्त समान रूप की एक ही स्थल की शिकायत, सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर अलग-अलग शिकायत क्रमांक 27486044, 29102098, 29330791, 31970818 से दर्ज कराई गई थी जिसमें क्रमशः कार्यवाही की गई जिसपर कार्यवाही की गई जो निम्नानुसार है:- 1- शिकायतकर्ता शिकायत उक्त स्थल की जांच दिनांक 30.07.2024 कर निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके बताये अनुसार स्थल ग्राम पाडल्याकला तहसील नागदा स्थित बनबना तालाब के भूमि सर्वे क्रमांक 1368 के भाग पर खनिज मिट्टी उत्खनित मात्रा 2023.272 घनमीटर का अवैध उत्खनन पाये जाने पर अनावेदक लोकेश पिता डोकल परमार निवासी-अंजली नगर नागदा जिला उज्जैन के विरुद्ध अर्थशास्ति राशि रु 3036580/- रु (पूर्णांक में) अक्षरी तीस लाख छतीस हजार पांच सौ अस्सी रुपये मात्र रु प्रस्तावित कर म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (1) के अंतर्गत प्रकरण माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन में दर्ज है। 2- शिकायत के द्वारा पुनः की गई शिकायत पर शिकायतकर्ता द्वारा बताये गये स्थल ग्राम बनबना तालाब से मिट्टी का खनन कर ग्राम पाडल्याकला तहसील नागदा के भूमि सर्वे क्रमांक 1378 आदि से खनिज मुरुम का उत्खनन किया जाकर अनावेदक रविन्द्र पिता मनोहर काठेड पता-11 जवाहर मार्ग नागदा के विरुद्ध कालोनी के निर्माण में भराव किये जाने पर मुरुम खनिज का अवैध भण्डारण का प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड की राशि रु. 451000/- की शास्ति की जाकर प्रकरण माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन में प्रकरण क्रमांक 02/अवैध भण्डारण/2025-26 से दर्ज है। 3. शिकायतकर्ता के द्वारा की गई शिकायत क्रमांक 33391555 के प्राप्त होने दिनांक 16.07.2025 को ही शिकायत में उल्लेखित स्थल बनबना तालाब का निरीक्षण किया गया, जांच के

	<p>दौरान यहां अवैध खनन कार्य करते कोई वाहन, मशीन अन्य साधन नहीं मिले शिकायती क्षेत्र में वाहनों मशीनों के आने जाने के चिन्ह, खुदाई के चिन्ह भी नहीं मिले तथा तालाब में पानी भरा होना पाया गया। उक्त कार्यवाही संबंधी फोटोग्राफस भी लिये गये। उक्त कार्यवाही से शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया किन्तु वे मानने को तैयार नहीं है। शिकायतकर्ता आदतनी एक ही स्थल की एक समान शिकायत करता है जिसपर पूर्व में कार्यवाही भी की गई तथा उक्त समस्त कार्यवाही से शिकायतकर्ता को समस्त कार्यवाही से अवगत कराया परंतु वह संतुष्ट नहीं है एवं शिकायत को बंद करने को भी तैयार नहीं है। वर्तमान में मौके कोई खनन एवं परिवहन होना नहीं हो रहा। शिकायत को बंद किया जाना उचित है। प्रतिवेदन के आधार पर शिकायत को बंद किया गया</p>
9 Sep 2025	<p>शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि :आवेदक द्वारा बताया गया है कि उनको विभाग में जानकारी दी गई थी परन्तु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिससे आवेदक को काफी समस्या आ रही है निवेदन है जांच करके कार्यवाही की जाए</p>
9 Sep 2025	<p>शिकायत पर निराकरण एल 2 अधिकारी नाम-श्रीमती देविका परमार ,पद-खनि अधिकारी , फोन-9827018884 द्वारा दर्ज किया गया है।</p>
9 Sep 2025	<p>शिकायत का पुनर्मूल्यांकन कर पुनः निराकरण कर उच्च स्तर पर मान्य हेतु प्रेषित कर दिया गया है।</p>
29 Sep 2025	<p>शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में भी उक्त समान रूप की एक ही स्थल की शिकायत, सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर अलग-अलग शिकायत क्रमांक 27486044, 29102098, 29330791, 31970818 से दर्ज कराई गई थी जिसमें क्रमशः कार्यवाही की गई जिसपर कार्यवाही की गई जो निम्नानुसार है:- 1- शिकायतकर्ता शिकायत उक्त स्थल की जांच दिनांक 30.07.2024 कर निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके बताये अनुसार स्थल ग्राम पाडल्याकला तहसील नागदा स्थित बनबना तालाब के भूमि सर्वे क्रमांक 1368 के भाग पर खनिज मिट्टी उत्खनित मात्रा 2023.272 घनमीटर का अवैध उत्खनन पाये जाने पर अनावेदक लोकेश पिता डोकल परमार निवासी-अंजली नगर नागदा जिला उज्जैन के विरुद्ध अर्थशास्ति राशि रु 3036580/- रु (पूर्णांक में) अक्षरी तीस लाख छत्तीस हजार पांच सौ अस्सी रुपये मात्र रु प्रस्तावित कर म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (1) के अंतर्गत प्रकरण माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन में दर्ज है। 2- शिकायत के द्वारा पुनः की गई शिकायत पर शिकायतकर्ता द्वारा बताये गये स्थल ग्राम बनबना तालाब से मिट्टी का खनन कर ग्राम पाडल्याकला तहसील नागदा के भूमि सर्वे क्रमांक 1378 आदि से खनिज मुरुम का उत्खनन किया जाकर अनावेदक रविन्द्र पिता मनोहर काठेड पता-11 जवाहर मार्ग नागदा के विरुद्ध कालोनी के निर्माण में भराव किये जाने पर मुरुम खनिज का अवैध भण्डारण का प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड की राशि रु. 451000/- की शास्ति की जाकर प्रकरण माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन में प्रकरण क्रमांक 02/अवैध भण्डारण/2025-26 से दर्ज है। 3. शिकायतकर्ता के द्वारा की गई शिकायत क्रमांक 33391555 के प्राप्त होने दिनांक 16.07.2025 को ही शिकायत में उल्लेखित स्थल बनबना तालाब का निरीक्षण किया गया, जांच के दौरान यहां अवैध खनन कार्य करते कोई वाहन, मशीन अन्य साधन नहीं मिले शिकायती क्षेत्र में वाहनों मशीनों के आने जाने के चिन्ह, खुदाई के चिन्ह भी नहीं मिले तथा तालाब में पानी भरा होना पाया गया। उक्त कार्यवाही संबंधी फोटोग्राफस भी लिये गये। उक्त कार्यवाही से शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया किन्तु वे मानने को तैयार नहीं है। शिकायतकर्ता आदतनी एक ही स्थल की एक समान शिकायत करता है जिसपर पूर्व में कार्यवाही भी की गई तथा उक्त समस्त कार्यवाही से शिकायतकर्ता को समस्त कार्यवाही से अवगत कराया परंतु वह संतुष्ट नहीं है एवं शिकायत को बंद करने को भी तैयार नहीं है। वर्तमान में मौके कोई खनन एवं परिवहन होना नहीं हो रहा। शिकायत को बंद किया जाना उचित है।</p>
28 Jul 2025	<p>शिकायत निराकरण हेतु (एल3) अधिकारी है नाम :-श्री रौशन कुमार सिंह , पद-कलेक्टर , फोन-9329332895</p>
28 Jul 2025	<p>निराकरण अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यवाही ना करने के कारण शिकायत (एल3) अधिकारी को परिवर्तित किया जा रहा है</p>
16 Jul 2025	<p>शिकायत निराकरण हेतु (एल2) अधिकारी है नाम :-श्रीमती देविका परमार पद- खनि अधिकारी फोन- 9827018884</p>
16 Jul 2025	<p>शिकायतकर्ता की असंतुष्टि पर शिकायत उच्च लेवल अधिकारी को भेजी जा रहा है</p>
16 Jul 2025	<p>शिकायतकर्ता की असहमति के आधार पर शिकायत उच्च स्तर पर प्रेषित की जा रही है।</p>
16 Jul 2025	<p>शिकायतकर्ता से सहमति अथवा असहमति की पुष्टि शेष है</p>
16 Jul 2025	<p>उक्त शिकायत के प्राप्त होते ही तत्काल ही शिकायती क्षेत्र में जाकर शिकायत के विषय में जांच की गई। जांच के दौरान यहां अवैध खनन कार्य करते कोई वाहन ,मशीन अन्य साधन नहीं मिले शिकायती क्षेत्र में वाहनों मशीनों के आने जाने के चिन्ह ,खुदाई के चिन्ह भी नहीं मिले</p>
16 Jul 2025	<p>शिकायत निराकरण हेतु (एल1) अधिकारी है नाम :-कामना गौतम पद- खनि निरीक्षक फोन- 9826981739</p>

प्रति,

धीमान खनि अधिकारी महोदय  
(खनिज शाखा)  
जिला-उज्जैन

विषय :- सीएम हेल्पलाईन क्रमांक 33391555 दिनांक 16.07.2025

संदर्भ :- शिकायतकर्ता श्री इंतियाज मो0न 8817105317

उक्त विषयांकित में विनम्र निवेदन है कि, शिकायतकर्ता श्री इंतियाज के द्वारा शिकायत नं. 33391555 दिनांक 16.07.2025 के द्वारा बताया गया कि स्थल का नाम बनबना तालाब नगर पालिका नागदा उज्जैन में आवेदक का कहना है कि अवैध मिट्टी और मोरंग का उत्खनन किया जा रहा है विभाग में जानकारी दी गई है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे आवेदक को काफी समस्या आ रही है निवेदन है जाँच कर कार्यवाही की जाए, कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, के संबंध में शिकायत की गई है।

उक्त शिकायत के प्राप्त होने दिनांक 16.07.2025 को ही शिकायत में उल्लेखित स्थल बनबना तालाब का निरीक्षण किया गया, जांच के दौरान यहां अवैध खनन कार्य करते कोई वाहन, मशीन अन्य साधन नहीं मिले शिकायती क्षेत्र में वाहनों मशीनों के आने जाने के चिन्ह, खुदाई के चिन्ह भी नहीं मिले तथा तालाब में पानी भरा होना पाया गया।

उक्त समस्त कार्यवाही से शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया किन्तु शिकायतकर्ता शिकायत को बंद कराने हेतु संतुष्ट नहीं है। विभाग अन्तर्गत कोई कार्यवाही शेष नहीं है। ऐसी स्थिति शिकायत को स्पेशल क्लोज्ड किया जाना उचित है।

प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

  
01.08.25  
सहा0 खनि अधिकारी  
जिला उज्जैन, म0प्र0

  
जिला खनि अधिकारी  
जिला-उज्जैन  
(म.प्र.)

प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमानखनि अधिकारी  
जिला-उज्जैन

विषय :- सीएम हेल्पलाईन शिकायत नं. 33391555

संदर्भ :- शिकायतकर्ता इम्तियाज अहमद पिता गुस्ताक अहमद गो0नं0 8817105317

उक्त विषयाकित्त संबंध में निवेदन है कि, शिकायतकर्ता श्री इम्तियाज के द्वारा शिकायत क्रमांक 33391555 दिनांक 16.07.2025 के द्वारा बताया गया कि स्थल का नाम बनवना तालाब नगर पालिका नागदा उज्जैन में आवेदक का कहना है कि अवैध मिट्टी और मुरुम का उत्खनन किया जा रहा है विभाग में जानकारी दी गई है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे आवेदक को काफी समस्या आ रही है निवेदन है जाँच कर कार्यवाही की जाए, कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, के संबंध में शिकायत की गई है।

शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में भी उक्त समान रूप की एक ही स्थल की शिकायत, सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर अलग-अलग शिकायत क्रमांक 27486044, 29102098, 29330791, 31970318 से दर्ज कराई गई थी जिसमें क्रमशः कार्यवाही की गई जो निम्नानुसार है :-

1- शिकायतकर्ता शिकायत उक्त स्थल की जाँच दिनांक 30.07.2024 कर निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके बताये अनुसार स्थल ग्राम पाडल्याकला तहसील नागदा स्थित बनवना तालाब के भूमि सर्वे क्रमांक 1368 के भाग पर खनिज मिट्टी उत्खनित मात्रा 2023.272 घनमीटर का अवैध उत्खनन पाये जाने पर अनावेदक लोकेश पिता डोकल परमार निवासी-अंजली नगर नागदा जिला उज्जैन के विरुद्ध अर्थशास्त्र राशि रु 3036580/- रु (पूर्णांक में) अक्षरी तीस लाख छत्तीस हजार पांच सौ अरसी रूपये मात्र रु प्रस्तावित कर म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (1) के अंतर्गत प्रकरण माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन में दर्ज है।

2- शिकायत के द्वारा पुनः की गई शिकायत पर शिकायतकर्ता द्वारा बताये गये स्थल ग्राम बनवना तालाब से मिट्टी का खनन कर ग्राम पाडल्याकला तहसील नागदा के भूमि सर्वे क्रमांक 1378 आदि से खनिज मुरुम का उत्खनन किया जाकर अनावेदक रविन्द्र पिता मनोहर काटेड पता-11 जवाहर मार्ग नागदा के विरुद्ध कालोनी के निर्माण में भराव किये जाने पर मुरुम खनिज का अवैध भण्डारण का प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड की राशि रु. 451000/- की शारित की जाकर प्रकरण माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन में प्रकरण क्रमांक 02/अवैध भण्डारण/2025-26 से दर्ज है।

3- शिकायतकर्ता के द्वारा की गई शिकायत क्रमांक 33391555 के प्राप्त होने दिनांक 16.07.2025 को ही शिकायत में उल्लेखित स्थल बनवना तालाब का निरीक्षण किया गया, जांच के दौरान यहां अवैध खनन कार्य करते कोई वाहन, मशीन अन्य साधन नहीं मिले शिकायती क्षेत्र में वाहनों मशीनों के आने जाने के चिन्ह, खुदाई के चिन्ह भी नहीं मिले तथा तालाब में पानी भरा होना पाया गया। उक्त कार्यवाही संबंधी फोटोग्राफस भी लिये गये। उक्त कार्यवाही से शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया किन्तु वे मानने को तैयार नहीं हैं। मौका स्थल के छायाचित्र संलग्न है।

शिकायतकर्ता आदतनी एक ही स्थल की एक समान शिकायत करता है जिसपर पूर्व में कार्यवाही भी की जा चुकी है। उक्त समस्त कार्यवाही से शिकायतकर्ता को समस्त कार्यवाही से अवगत कराया गया परंतु वह संतुष्ट नहीं है एवं शिकायत को बंद करने को भी तैयार नहीं है। वर्तमान में मौके कोई खनन एवं परिवहन होना नहीं पाया गया तथा विभाग अन्तर्गत कोई कार्यवाही शेष नहीं है तथा अतः ऐसी स्थिति शिकायत को बंद किया जाना उचित है।



प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

संलग्न- फोटोग्राफस

सहा0 खनि अधिकारी  
जिला उज्जैन

जिला खनि अधिकारी  
जिला-उज्जैन  
(म.प्र.)

  
जिला खनि अधिकारी  
जिला-उज्जैन  
(म.प्र.)







| जाच/जप्ता कायवाही स्थल

| क्रमांक 1378 आटे आन्ट गोटेका मालोने ।



Scanned with OKEN Scanner



W.

जिला खनि अधिकारी  
जिला-उज्जैन  
(म.प्र.)

## प्रतिवेदन

श्रीमान् कलेक्टर महोदय  
(खनिज शाखा)  
जिला-उज्जैन (म0प्र0)

विषय :- जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने कागत

संदर्भ :- सीएम हेल्पलाइन की शिकायत क्रमांक 31970818 के संबंध में

महोदय उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत निवेदन है कि शिकायतकर्ता श्री इम्तियाज अहमद के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत क्रमांक 31970818 दर्ज कराई गई थी। उक्त शिकायत के संबंध में अलग-अलग समय पर जांच की गई जांच के दौरान शिकायती क्षेत्र अर्थात् तहसील नागदा के ग्राम वनवना के तालाब में अवैध खनिज उत्खनन कार्य करते कोई व्यक्ति मशीन वाहन नहीं मिले। शिकायतकर्ता से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया की वनवना तालाब से मिट्टी खनिज का अवैध खनन कर तहसील नागदा के ग्राम पाडल्याकला में निर्माणाधीन आनंद वाटिका नाम की कॉलोनी में खनिज का उपयोग किया गया है जिसके आधार पर शिकायतकर्ता के साथ उक्त कॉलोनी का भी मौका निरीक्षण किया गया। जांच एवं पृछताछ कर पाया कि ग्राम पाडल्याकला की भूमि खसरा क्रमांक 1378 .... आदि भूमि पर उक्त कॉलोनी के मालिक रविंद्र कांठेड़ पिता मनोहर कांठेड़ निवासी 11 जवाहर मार्ग (गजानन कचोरी के पास) तहसील नागदा के द्वारा करीबन 300 घन मीटर मुरम खनिज का अवैध भंडारण कर कॉलोनी का विकास कार्य किया गया है जो की मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 के नियम 18(1) के अनुसार अवैध खनिज भंडारण के कृत्य के अंतर्गत आता है। उक्त प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है उक्त कृत्य नियम 18 (1) के अन्तर्गत प्रपमनीय है।

अवैध भण्डारण के इस प्रकरण हेतु अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	व्योरा	प्रतिवेदन विवरण
1	अवैध भण्डारण का दिनांक	दिनांक 18.05.2025
2	जांच/जप्ती कार्यवाही स्थल	तहसील नागदा ग्राम पाल्याकला भूमि खसरा क्रमांक 1378.... आदि आनंद वाटिका कालोनी उज्जेन-जावरा रोड़
3	अवैध भण्डारणकर्ता/उक्त कॉलोनी मालिक का नाम एवं पता	रविन्द्र पिता मनोहर कांठेड़ निवासी-11, जवाहर मार्ग, गजानंद कचोरी के पास तहसील नागदा जिला उज्जैन
4	अवैध भण्डारी होने वाले खनिज का नाम एवं खनिज मात्रा (घन मीटर में)	मुरम मात्रा 300 घ0मी0
5	खनिज हेतु कुल रायल्टी राशि (नियमानुसार प्रभावी राजस्व दर रु. 50/- प्रति घ.मी. से )	रु 15,000/-

निरंतर.....2

		(2)
6	खनिज भण्डारण का उद्देश्य (यदि ज्ञात हो तो )	कॉलोनी का निर्माण कार्य
7	अर्थशास्त्र { म०प्र० खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 2022 के नियम 18 (1) के अनुसार रायल्टी का 15 गुना }	राशि 2,25,000/- रु अक्षरी रु. दो लाख पच्चीस हजार मात्र
8	पर्यावरण क्षति पूर्ति (अधिरोपित अर्थशास्त्र की राशि के समतुल्य राशि )	राशि 2,25,000/- रु अक्षरी रु. दो लाख पच्चीस हजार मात्र
9	कुल शास्त्र (अर्थ शास्त्र एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति रकम सहित)	राशि 4,50,000/- रु अक्षरी रु. चार लाख पचास हजार मात्र
10	प्रशमन शुल्क म०प्र० खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (1) अनुसार	रुपये 1000/- (चालान क्रमांक-08539196 दिनांक 20.05.2025)

11 म०प्र० खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (4) में प्रावधान है कि "उप-नियम (3) के अनुसार उल्लंघनकर्ता द्वारा प्रषमन न किये जाने की स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अनुसार प्रकरण उप-नियम (1) में यथा विहित प्राधिकारी के समक्ष में प्रचलित किया जाएगा" तथा अवैध परिवहन प्रमाणित होने पर म०प्र० खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (5) के प्रावधानानुसार उपनियम-1 में निर्धारित कुल शास्त्र की दुगुनी राशि अधिरोपित की जायेगी ।

12 तहसील नागदा के ग्राम वनवना के सरपंच श्री शिव नारायण चौधरी मोबाइल नंबर 6232630300 से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा उनके कार्यालय का पत्र क्रमांक क्यूं/पं/25 दिनांक 20.05.25 के द्वारा लिखित में अवगत कराया गया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जन सहयोग से कृषकों के द्वारा ग्राम वनवना के तालाब से मिट्टी खनन कर खेतों में मिट्टी डाली जा रही है । जिसके संबंध में इनके द्वारा जल संसाधन विभाग का आदेश क्रमांक दिनांक का पत्र भी दिखाया गया और कहा कि उक्त आदेश की शर्तों का पालन करते हुए ही किसानों के द्वारा तालाब में से मिट्टी खनन करके खेत में मिट्टी डाली गई है। इसके अलावा इस तालाब से ले जाकर मिट्टी किसी भी कॉलोनी में या अन्य कहीं अन्य जगह व्यवसायिक उपयोग हेतु विक्रय नहीं की गई है। उनके द्वारा उक्त पत्र के साथतक विभाग के आदेश के पत्र की छायाचित्र भी

  
जिला खनि अधिकारी  
जिला-उज्जैन  
(मप्र)

  
Gatom

निरंतर.....3

(3)

प्रस्तुत की गई है। म. प्र. खनिज नियम 1996 के नियम 68 के अनुसार ग्राम पंचायतों एवं ग्रामीणों के द्वारा यदि जन सामान्य के कार्य हेतु तालाब से मिट्टी का खनन किया जाता है तो उस पर रॉयल्टी देय नहीं है एवं परिवहन अनुज्ञा लेने की आवश्यकता भी नहीं है का प्रावधान उल्लेखित है। ताहसील नागदा के ग्राम वनवना के सरपंच श्री शिव नारायण चौधरी मोवाइल नंबर 6232630300 से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा उनके कार्यालय का पत्र क्रमांक क्यू/प/25 दिनांक 20.05.25 के द्वारा लिखित में अवगत कराया गया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जन सहयोग से कृषकों के द्वारा ग्राम वनवना के तालाब से मिट्टी खनन कर खेतों में मिट्टी डाली जा रही है। जिसके संबंध में इनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप खण्ड खाचरौद जिला उज्जैन का पत्र/क्रमांक/79/अ.अ./2025 दिनांक 09.04.2025 भी दिखाया गया और कहा कि उक्त आदेश की शर्तों का पालन करते हुए ही किसानों के द्वारा तालाब में से मिट्टी खनन करके खेत में मिट्टी डाली गई है। इसके अलावा इस तालाब से ले जाकर मिट्टी किसी भी कॉलोनी में या अन्य कहीं अन्य जगह व्यवसायिक उपयोग हेतु विक्रय नहीं की गई है। उनके द्वारा उक्त पत्र के साथतक विभाग के आदेश के पत्र की छायाचित्र भी प्रस्तुत की गई है। म. प्र. खनिज नियम 1996 के नियम 68 के अनुसार ग्राम पंचायतों एवं ग्रामीणों के द्वारा यदि जन सामान्य के कार्य हेतु तालाब से मिट्टी का खनन किया जाता है तो उस पर रॉयल्टी देय नहीं है एवं परिवहन अनुज्ञा लेने की आवश्यकता भी नहीं है का प्रावधान उल्लेखित है।

अतः म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 के उपनियमों के प्रावधानों अन्तर्गत उपरोक्तानुसार अर्थशास्त्रि, पर्यावरण क्षतिपूर्ति रकम एवं प्रपमन शुल्क प्रस्तावित करते हुए प्रतिवेदन समस्त संलग्न सहपत्रों सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु महोदय के समक्ष सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न-

- 1-पंचनामा
- 2-कथन
- 3-जप्तीनामा
- 4-अभिरक्षा पत्र
- 5-प्राप्त अन्य दस्तावेज
- 6-ग्राम सरपंच का पत्र
- 7-WRD के पत्र की छायाप्रति

  
जिला खनिज अधिकारी  
जिला-उज्जैन  
(म.प्र.)



(कामना गौतम)

A.M.O

जिला उज्जैन

**Department of Finance , Government of Madhya Pradesh  
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment  
to M.P. State Government**



Payment Identification Number) / Enrollment No.	
Payee Name	RAVINDRA KANTHED
Address for Payment	12, JAWAHAR MARG, MAGDA, , Ujjain, Madhya Pradesh - 456335
Registration Number (URN)	Ujjain
Department and Office Name	MPTURN180620250002775
Payment Period	Mineral Resources, MINING OFFICE
	2025-2026

**Purpose Details**

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.
340062025000012	2025-06-18 to 2025-06-18	0853-00-102-0278 ( Mineral concession fees, rents and royalties-Receipts from minor minerals including fines and forfeiture )	ICIC0000055085318062025000182	051/9999999/0853/06/25/009289

Amount(in figures)	4,50,000.00
Amount(in words)	Four Lakh Fifty Thousand Rupees Only
Bank Code of the Bank	ICICI BANK (229)
Reference Number	2044394172
	000141
Date	18/06/2025
Transaction / Time of Transaction (miss)	18/06/2025 12:42:37
Transaction Status	Success

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी,  
जल संसाधन उपखण्ड खाचरौद, जिला उज्जैन

पत्र क. ११/अ.अ./2025

दिनांक 09/04/2025

प्रति,

भारपंच

ग्राम पंचायत लखवना

खण्ड पंचायत खाचरौद

विषय:- जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जन सहयोग से कृषकों हेतु मिट्टी खोदने की अनुमति प्रदाय करने बाबत।

0000

उपरोक्त विषयांतर्गत मिट्टी खोदने की अनुमति निम्न शर्तों पर दी जाती है।

1. मिट्टी/मुर्रम निकालने का कार्य बांध की पाल से 250 मीटर दूरी से किया जाये।
2. तालाब में खुदाई का कार्य समान गहराई में किया जावे।
3. मिट्टी की खुदाई अधिकतम 2 फीट की गहराई तक ही जावेगी।
4. विभाग द्वारा तालाब में किसी भी स्थान या ज्यादा गहराई होने पर मिट्टी /मुर्रम उठाने के लिए मना किया जाता है तो वहा खुदाई ना की जाये।
5. तालाब गहरीकरण से निकलने वाली मिट्टी/मुर्रम का परिवहन विधिवत् अनुमति प्राप्त कर एवं नियमानुसार किया जावे।
6. उपयोग की गयी मिट्टी /मुर्रम की सॉयल्टी नियमानुसार संबंधित विभाग में जमा की जावे।

खुदाई कार्य से तालाब को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखा जावे।

(बीरसिंह शाक्य)

अनुविभागीय अधिकारी

जल संसाधन उपसंभाग, खाचरौद  
दिनांक 09/04/2025

पृ. क. 80/अ.अ./2025

- प्रतिलिपि:-
1. कलेक्टर खनिज शाखा जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
  2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
  3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नागदा/बडनगर/खाचरौद की ओर सूचनार्थ।

(बीरसिंह शाक्य)

अनुविभागीय अधिकारी

जल संसाधन उपसंभाग, खाचरौद

General letter

॥ पंचायत राज अमर रहे ॥



# कार्यालय ग्राम पंचायत बनबना

जनपद पंचायत खाचरीद, जिला-उज्जैन (म.प्र.)

क्रमांक - स्य./पं./ 25

दिनांक 20-5-2025

प्रति,

श्रीमान

रबनिज अधिकारी मधेद

विषय :- जल गंगा संवर्धन अभिधान के अंतर्गत जन सहयोग ले कृषकों हेतु मिट्टी खोदने का बत उपरोक्त विषयान्तर्गत मिट्टी खोदने की अनुमति दी गई थी ~~किंतु~~ शर्तें अनुसार ही किसानों द्वारा मिट्टी खोदी गई एक लपट किसानों के खेतों में मिट्टी डाली गई है इसके आलाव कई मिट्टी नष्ट डाली गई है या कहीं भी किसी भी कालेनी में मिट्टी का भ्रंश भराव नहीं किया गया न ही किसी के द्वारा मिट्टी को बेचना मिट्टी का व्यावसायिक उपयोग किसी के भी द्वारा नहीं किया है

आदेश की कापी संलग्न

शिवनारायण चंदरी

सचिव  
ग्राम पंचायत बनबना  
जनपद पंचायत खाचरीद

फै. 6232630300

8671

Annexure-09

मध्यप्रदेश शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 99/5 /DEV.COMM/ WHS /2022

भोपाल, दिनांक 19/10/2022

प्रति,

1. कलेक्टर  
जिला - समस्त
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत  
जिला - समस्त



विषय : पुरानी जल संग्रहण संरचनाओं जैसे तालाब / स्टापडेम / अन्य जल निकाय से निकाली गई मिट्टी / गाद के उपयोग हेतु रॉयल्टी एवं परिवहन अनुज्ञा के संबंध में "मध्यप्रदेश गौण खनिज अधिनियम - 1996" में संशोधन के संबंध में।

जातव्य है कि "मध्यप्रदेश गौण खनिज अधिनियम - 1996" के नियम - 68 में पुरानी जल संग्रहण संरचनाओं जैसे तालाब / स्टापडेम / अन्य जल निकाय के गहरीकरण के फलस्वरूप निकाली गई मिट्टी / गाद के उपयोग के संबंध में किये गये प्रावधान सुविधाजनक नहीं थे। अतः मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के मध्यप्रदेश राजपत्र क्र. 555, दिनांक 07 अक्टूबर 2022 द्वारा "मध्यप्रदेश गौण खनिज अधिनियम - 1996" में किये गये विविध संशोधनों में विभाग के अनुरोध पर नियम - 68 में भी संशोधन किया गया है। इस संशोधन की प्रतिलिपि सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

2/ "मध्यप्रदेश गौण खनिज अधिनियम - 1996" किये गये उक्त संशोधन के अनुक्रम में ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित / संधारित तालाब / स्टापडेम / अन्य जल निकाय से ग्राम पंचायत की अनुमति निकाली गई मिट्टी / गाद का उपयोग विभागीय कार्यों के लिए किये जाने पर कोई रॉयल्टी देय नहीं होगी और परिवहन अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्राम पंचायत ऐसी निकाली गई मिट्टी / गाद का ग्राम स्तरीय संगठनों / कृषकों द्वारा गैर व्यवसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु ले जाने की अनुमति दे सकेंगी तथा उन्हें इसके परिवहन के लिए कोई रॉयल्टी देय नहीं होगी और परिवहन अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

3/ "मध्यप्रदेश गौण खनिज अधिनियम - 1996" के उक्त संशोधन के संबंध में सर्व संबंधितों को अवगत कराये ताकि विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों विशेष कर जल संरक्षण और संवर्धन के कार्यों में इनका अनुपालन हो सके।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(उमाकांत उमरावि) 22  
प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग



**TEST REPORT**

**ANALYSIS REPORT FOR WATER / WASTE WATER SAMPLE**

Report No. 1028/2025  
Date of issue: 07-11-2025

Sample from : :- Banbana Talab, Nagda  
Description of Sample: :- Pond Water  
Reference: :- As per Monitoring Package  
Sampling Method: :- APHA 24 th edi. 2023

Date of Collection :	04-11-2025	Sample Volume - 2 Litre
Date of Receipt :	04-11-2025	Plastic bottel & Glass bottel - Plastic bottel
Start of Analysis :	04-11-2025	Collected by :- Mr. H. S. Sharma, Scientist
Date of Completion of Analysis:	07-11-2025	Analysed by :- Mr. Devendra Solanki, Chemist

Environmental condition during sampling : Environmental Ambient Temperature °C, Weather -

Preservation Status : As per Protocol

Visual Observations :

- 1 Colour : Colourless
- 2 Apperance : Clear
- 3 Odour : Odourless

S.No.	Parameters	Unit	Test Method	Result
1	Temperature	Centigrade	APHA 24 th edi. 2023, 2550 B, IS:3025 (Part-9)-1984	23
2	pH at Degree Centigrade	pH Units	APHA 24 th edi. 2023, Electrometric Method 4500-H+B,	7.63
3	Specific Conductance	micromho/cm	APHA 24 th edi. 2023, By Conductivity Meter 2510-B	306
4	Turbidity	N.T.U.	APHA 24 th edi. 2023, Nephelometric Method 2130-B	4.5
5	Chloride as Cl <sup>-</sup>	mg/l	APHA 24 th edi. 2023, Argentometric Method 4500-Cl--B	66
6	Total Alkalinity as CaCO <sub>3</sub>	mg/l	APHA 24 th edi. 2023, Titrimetric Method 2320-B	102
7	Total Hardness as CaCO <sub>3</sub>	mg/l	APHA 24 th edi. 2023, EDTA Titrimetric Method 2340-C	166
8	Calcium Hardness as CaCO <sub>3</sub>	mg/l	APHA 24 th edi. 2023, EDTA Titrimetric Mehod 3500-Ca-B	104
9	Magnesium Hardness as CaCO <sub>3</sub>	mg/l	APHA 24 th edi. 2023, Calculation Method 2340-B	62
10	Dissolved Oxygen	mg/l	APHA 24 th edi. 2023, Azide Modification 4500-OC	7.2
11	Total Solids	mg/l	APHA 24 th edi. 2023, Gravimetric Method 2540 B	214
12	Suspended Solids	mg/l	APHA 24 th edi. 2023, Gravimetric Method 2540 D	12
13	Total Dissolved Solids	mg/l	APHA 24 th edi. 2023, Gravimetric Method 2540 C	202
14	B.O.D.( 3 Days 27 <sup>0</sup> C)	mg/l	IS 3025,Part-44, 2023 (3-Day B.O.D. Test)	1.8
15	Chemical Oxygen Demand	mg/l	APHA 24 th edi. 2023, Open Reflux Method 5220-B	10
16	Ammonical Nitrogen as NH <sub>3</sub> -N	mg/l	APHA 24 th edi. 2023, Phenate Method 4500-NH3F	0.12
17	Nitrite as NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N	mg/l	APHA 24 th edi. 2023, Colorimetric Method 4500-NO2-B	0.003
18	Nitrate as NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N	mg/l	APHA 24 th edi. 2023, UV Spectrometer Method 4500-NO3-B	0.526
19	Phosphate as PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> -P	mg/l	APHA 24 th edi. 2023, Method ,4500-PD-Stannous Chloride	BDL
20	Sulphate as SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/l	APHA 24 th edi. 2023, Turbidimetric Method 4500-E	13.4
21	Total Coliform	MPN/100ml	APHA 24 th edi. 2023, Standard Method	49
22	Fecal Coliform	MPN/100ml	APHA 24 th edi. 2023, Standard Method	<1.8

Category - A

(As per IS - 2296 - 1982)

Note : During sample collection discharge of untreated water into water body not found.  
BDL- Below Detectable Limit

*for* (Laboratory In-Charge)

**Email****Legal Cell**

---

**Fwd: Service of JCR in OA 129/2025 Imtiyaz Ahmed & Anr. Vs State of Madhya Pradesh & Ors.**

---

**From :** Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in> Sun, Nov 09, 2025 03:00 PM  
**Subject :** Fwd: Service of JCR in OA 129/2025 Imtiyaz Ahmed & Anr. Vs State of Madhya Pradesh & Ors. 1 attachment  
**To :** ahmedimityaz131088@gmail.com,  
jayantmaghi@gmail.com

---

**From:** "Legal Cell" <legalcell.pcb@mp.gov.in>  
**To:** ahmedimityaz131088@gmail.com, jayantmaghi@gmail.com  
**Cc:** "mpseiaa" <mpseiaa@gmail.com>, "DM Ujjain" <dmujjain@nic.in>, "devika parmar" <modgmujj@mp.gov.in>, "parul bhadoria04" <parul.bhadoria04@gmail.com>, "harnengt" <harnengt@gmail.com>, "romppcb ujjain" <romppcb\_ujjain@yahoo.co.in>  
**Sent:** Sunday, November 9, 2025 2:58:57 PM  
**Subject:** Service of JCR in OA 129/2025 Imtiyaz Ahmed & Anr. Vs State of Madhya Pradesh & Ors.

Madam/Sir

Please find enclosed the Joint Committee Report filed by MPPCB in compliance of order dated 23.09.2025 passed by the Hon'ble NGT (CZ) in OA 129/2025 Imtiyaz Ahmed & Anr. Vs State of Madhya Pradesh & Ors. This mail be considered as proof of service.

Regards  
Legal Section  
MP PCB

---

 **JCR in OA 129-2025.pdf**  
15 MB

---